



राजस्थान शासन

परिवर्तित
आय-व्ययक एक दृष्टि में
Modified
Budget At A Glance
2024-2025



राजस्थान शासन

परिवर्तित
आय—व्ययक एक दृष्टि में
Modified
Budget At A Glance
2024-25

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
सांख्यिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर

DIRECTORATE OF ECONOMICS AND STATISTICS
STATISTICS DEPARTMENT, RAJASTHAN, JAIPUR

परिवर्तित आय-व्ययक एक दृष्टि में
MODIFIED BUDGET AT A GLANCE
2024-25

(₹ लाख / Lakh)

क्र.सं. S.N.	विवरण Particulars	लेखे Accounts 2022-23	आय-व्ययक अनुमान B.E. 2023-24	संशोधित अनुमान R.E. 2023-24	आय-व्ययक अनुमान (परि.) B.E.(Modi.) 2024-25
1	2	3	4	5	6
1	राजस्व प्राप्तियां Revenue Receipts	19498793.02	23398800.77	23767191.36	26446129.02
(i)	राज्य के कर राजस्व State's Tax Revenue	8734637.87	11416910.41	11060051.90	12552482.20
(ii)	केन्द्रीय करों में हिस्सा Share in Central Taxes	5723079.00	6155247.00	6655671.00	7958711.00
(iii)	कर भिन्न राजस्व Non-Tax Revenue	2056442.73	2428469.53	2064770.56	2266539.89
(iv)	केन्द्रीय सहायता Union Grant	2984633.42	3398173.83	3986697.90	3668395.93
2	पूंजीगत प्राप्तियां Capital Receipts	17694392.80	15695497.48	23931814.61	23114804.78
(i)	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली Recoveries of Loans & Advances	41961.20	31073.81	31520.18	30552.68
(ii)	विविध पूंजीगत प्राप्तियां Misc. Capital Receipts	1619.94	2000.00	2000.00	2000.00
(iii)	लोक ऋण एवं शुद्ध लोक लेखा Public Debt and Net Public Account	17650811.66	15662423.67	23898294.43	23082252.10
	(इसमें से पुनर्भुगतान) (of which Repayments)	(12573760.76)	(9376581.79)	(17387285.23)	(16067080.45)
2.1	शुद्ध लोक ऋण तथा लोक लेखा Net Public Debt and Public Account	5077050.90	6285841.88	6511009.20	7015171.65
3	कुल प्राप्तियां (1+2) Total Receipts	37193185.82	39094298.25	47699005.97	49560933.80

क्रमशः / Contd...

परिवर्तित आय-व्ययक एक दृष्टि में
MODIFIED BUDGET AT A GLANCE
2024-25

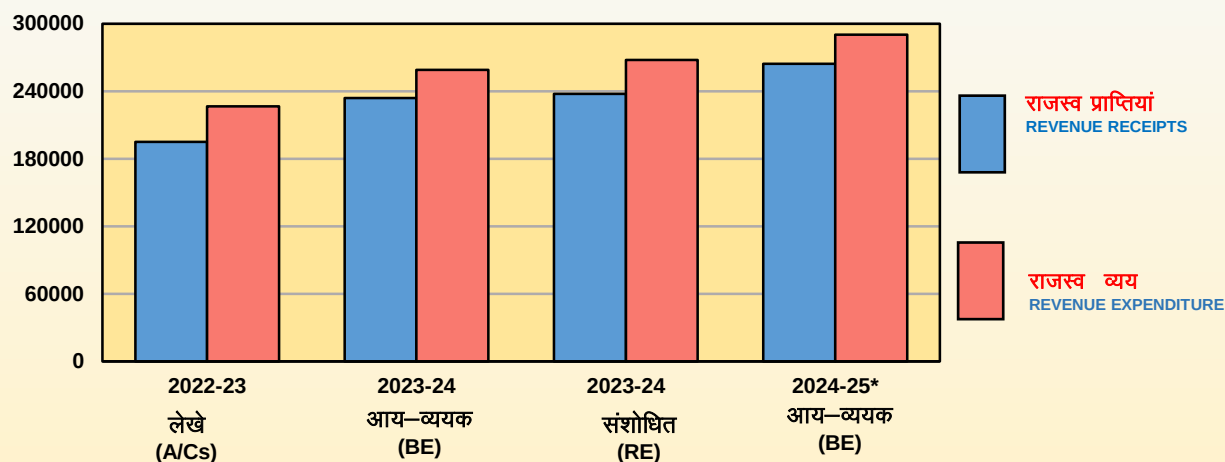
(₹ लाख / Lakh)

क्र.सं. S.N.	विवरण Particulars	लेखे Accounts 2022-23	आय-व्ययक अनुमान B.E. 2023-24	संशोधित अनुमान R.E. 2023-24	आय-व्ययक अनुमान (परि.) B.E.(Modi.) 2024-25
1	2	3	4	5	6
4	राजस्व व्यय Revenue Expenditure	22647929.34	25888367.82	26774384.25	29021939.65
	(इसमें से ब्याज की अदायगी) (of which Interest Payment)	3060187.80	3239366.91	3456104.96	3753782.89
5	पूंजीगत व्यय Capital Expenditure	14571066.45	13197280.13	20921780.68	20524769.93
6	कुल व्यय (4+5) Total Expenditure	37218995.79	39085647.95	47696164.93	49546709.58
7	राजस्व आधिक्य (+)/ घाटा (-) (1-4) Revenue Surplus (+) / Deficit (-)	-3149136.32	-2489567.05	-3007192.89	-2575810.63
8	बजट आधिक्य (+)/ घाटा (-) (3-6) Budgetary Surplus (+)/ Deficit (-)	-25809.97	8650.30	2841.04	14224.22
9	राजकोषीय घाटा Fiscal Deficit	5102860.87	6277191.58	6508168.16	7000947.43
10	प्रारम्भिक आधिक्य (+)/ घाटा (-) Primary Surplus (+)/ Deficit (-)	-2042673.07	-3037824.67	-3052063.20	-3247164.54

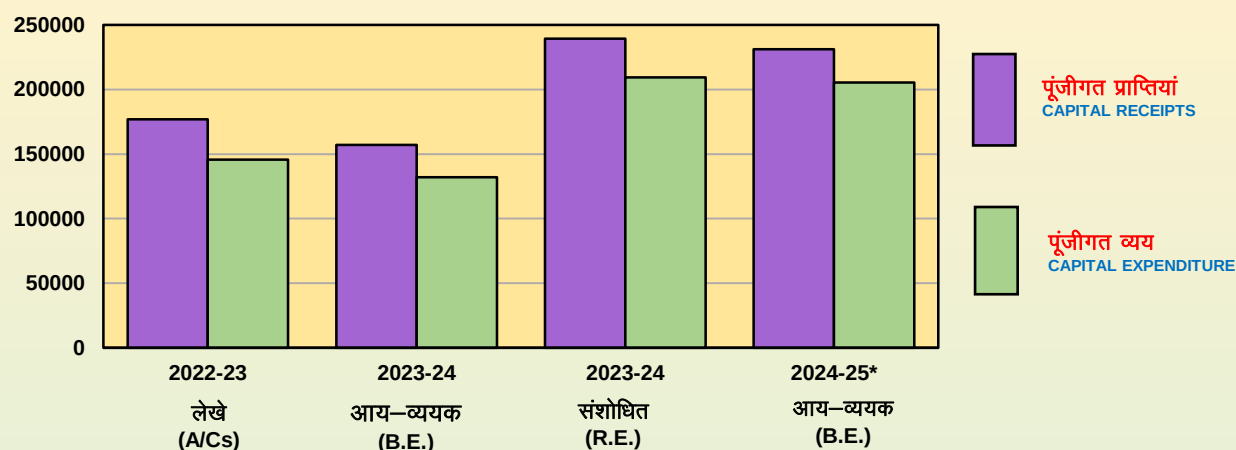
आय-व्ययक एक दृष्टि में BUDGET AT A GLANCE

₹ करोड़ / Crore

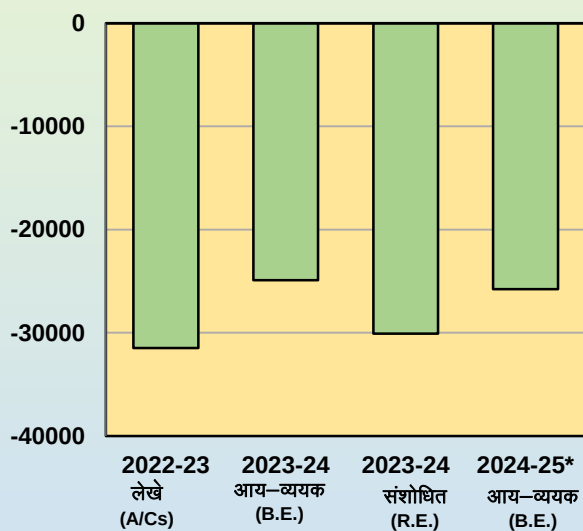
राजस्व REVENUE



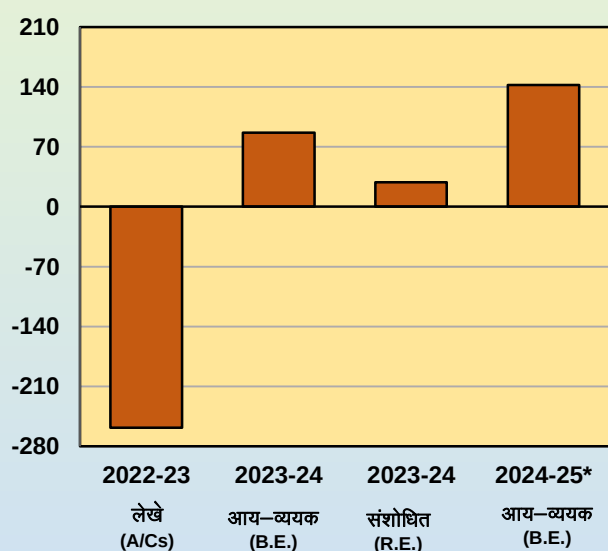
पूंजीगत CAPITAL



राजस्व आधिक्य (+) / घाटा (-) REVENUE SURPLUS (+) / DEFICIT (-)



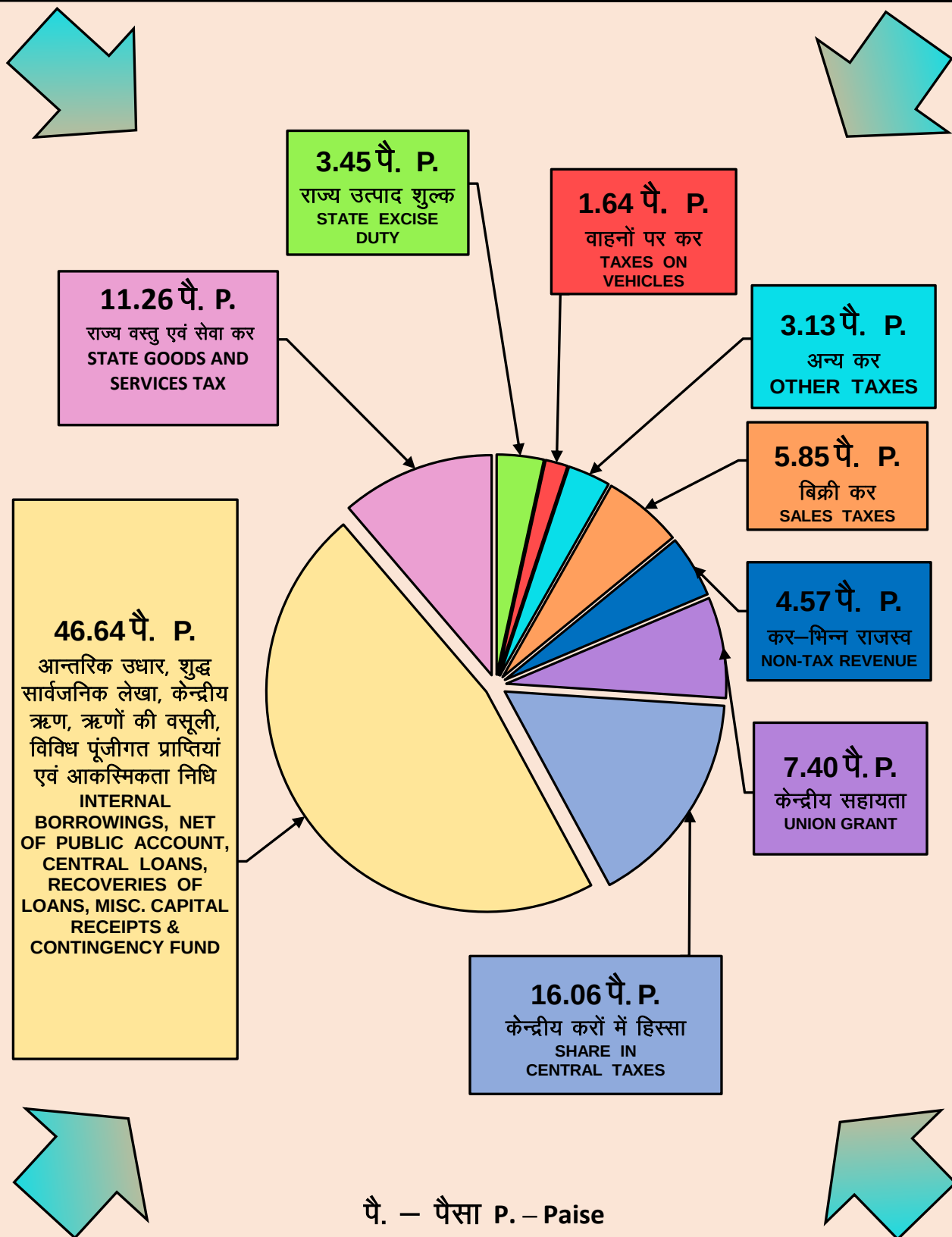
बजट आधिक्य (+) / घाटा (-) BUDGET SURPLUS (+) / DEFICIT (-)



* परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान Modified Budget

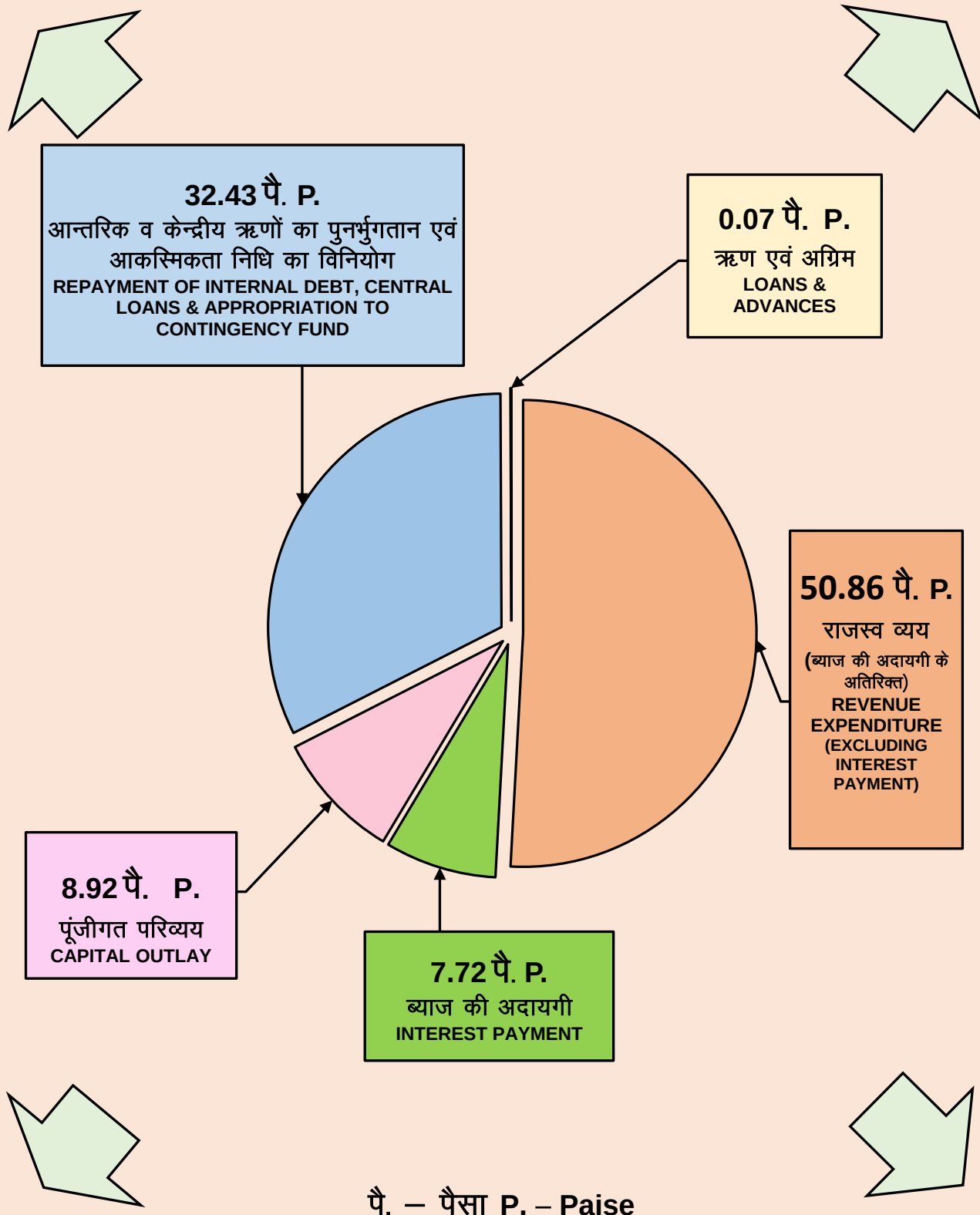
रुपया आता है

RUPEE COMES FROM



रुपया जाता है

RUPEE GOES TO



प्राप्तियां
RECEIPTS

(₹ लाख / Lakh)

क्र.सं. S.N.	विवरण Particulars	लेखे Accounts 2022-23	आय-व्ययक अनुमान B.E. 2023-24	संशोधित अनुमान R.E. 2023-24	आय-व्ययक अनुमान (परि.) B.E.(Modi.) 2024-25
1	2	3	4	5	6
1	स्वयं का कर राजस्व Own Tax Revenue	8734637.87	11416910.41	11060051.90	12552482.20
(i)	राज्य वस्तु एवं सेवा कर State Goods and Services Tax	3379047.71	4894645.00	4800000.00	5580000.00
(ii)	भू-राजस्व Land Revenue	48401.49	63575.50	49700.50	72110.50
(iii)	मुद्रांक एवं पंजीयन Stamps & Registration	818918.87	915000.00	1000000.00	1100000.00
(iv)	राज्य उत्पाद शुल्क State Excise Duty	1332584.50	1700000.00	1550000.00	1710000.00
(v)	बिक्री कर Sales Tax	2272713.53	2730000.00	2600000.00	2900000.00
(vi)	वाहनों पर कर Tax on Vehicles	612817.42	770000.00	710000.00	810000.10
(vii)	विद्युत पर कर तथा शुल्क Taxes & Duties on Electricity	262517.17	312588.00	320000.00	350000.00
(viii)	अन्य कर एवं शुल्क Other Taxes & Duties	7637.18	31101.91	30351.40	30371.60
2	केन्द्रीय करों में हिस्सा Share in Central Taxes	5723079.00	6155247.00	6655671.00	7958711.00
(i)	वस्तु एवं सेवा कर Goods and Services Tax	1616985.00	1990317.00	2033795.00	2400328.00
(ii)	आयकर Income Tax	1873000.00	1916626.00	2210113.00	2743449.00
(iii)	निगम कर Corporation Tax	1919210.00	1970085.00	1950194.00	2508275.00
(iv)	संघ उत्पाद शुल्क Union Excise Duty	70574.00	81779.00	96158.00	114885.00
(v)	सीमा शुल्क Custom Duty	224947.00	195256.00	351486.00	179989.00
(vi)	सेवा कर Service Tax	8945.00	1235.00	1226.00	247.00
(vii)	अन्य कर Other Taxes	9418.00	-51.00	12699.00	11538.00

क्रमशः / Contd...

**प्राप्तियां
RECEIPTS**

(₹ लाख / Lakh)

क्र.सं. S.N.	विवरण Particulars	लेखे Accounts 2022-23	आय-व्ययक अनुमान B.E. 2023-24	संशोधित अनुमान R.E. 2023-24	आय-व्ययक अनुमान (परि.) B.E.(Modi.) 2024-25
1	2	3	4	5	6
3	कर भिन्न राजस्व Non Tax Revenue	2056442.73	2428469.53	2064770.56	2266539.89
(i)	ब्याज प्राप्तियां Interest Receipts	203042.84	242518.00	223250.08	254362.54
(ii)	लाभांश एवं लाभ Dividends & Profits	2870.51	7275.02	3291.22	3291.22
(iii)	अन्य कर भिन्न राजस्व Other Non-Tax Revenue	1850529.38	2178676.51	1838229.26	2008886.13
4	केन्द्रीय सहायता Union Grant	2984633.42	3398173.83	3986697.90	3668395.93
5	कुल राजस्व प्राप्तियां (1+2+3+4) Total Revenue Receipts	19498793.02	23398800.77	23767191.36	26446129.02

क्रमशः / Contd...

**प्राप्तियां
RECEIPTS**

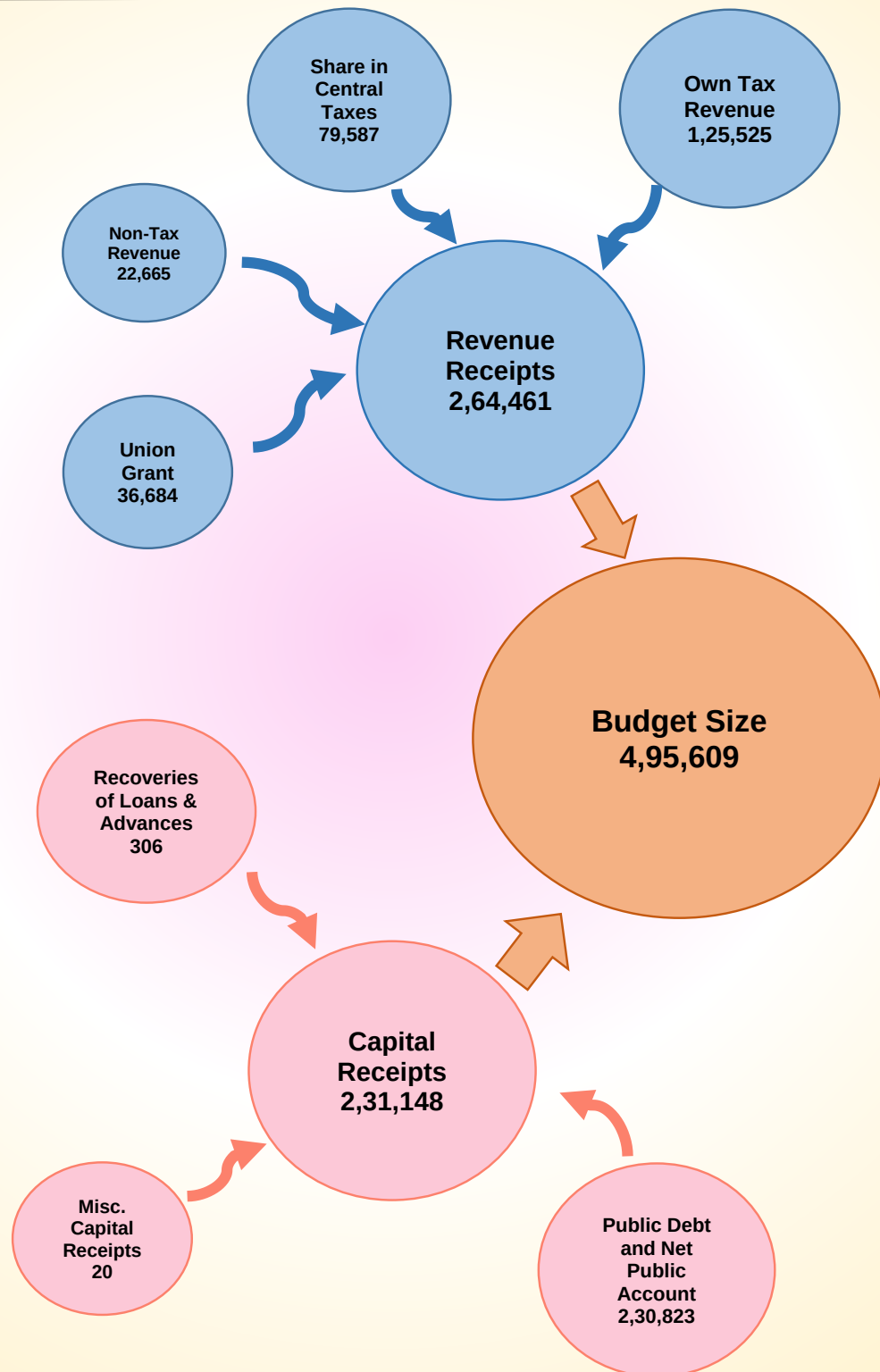
(₹ लाख / Lakh)

क्र.सं. S.N.	विवरण Particulars	लेखे Accounts 2022-23	आय-व्ययक अनुमान B.E. 2023-24	संशोधित अनुमान R.E. 2023-24	आय-व्ययक अनुमान (परि.) B.E.(Modi.) 2024-25
1	2	3	4	5	6
6	पूंजीगत प्राप्तियां Capital Receipts	17694392.80	15695497.48	23931814.61	23114804.78
(i)	उधार एवं अग्रिम की वसूली Recovery of Loans and Advances	41961.20	31073.81	31520.18	30552.68
(ii)	आन्तरिक ऋण Internal Debt	15348150.43	13841907.04	21905739.78	21173600.05
(iii)	केन्द्रीय सरकार से लिया गया ऋण Loans from Central Government	708390.83	993620.19	1019894.98	1028254.01
(iv)	शुद्ध सार्वजनिक लेखा Net Public Account	1594270.40	826896.44	972659.67	880398.04
(v)	विविध पूंजीगत प्राप्तियां Misc. Capital Receipts	1619.94	2000.00	2000.00	2000.00
7	कुल प्राप्तियां (5+6) Total Receipts	37193185.82	39094298.25	47699005.97	49560933.80

प्राप्तियां

₹ करोड़ / Crore

RECEIPTS



व्यय
EXPENDITURE

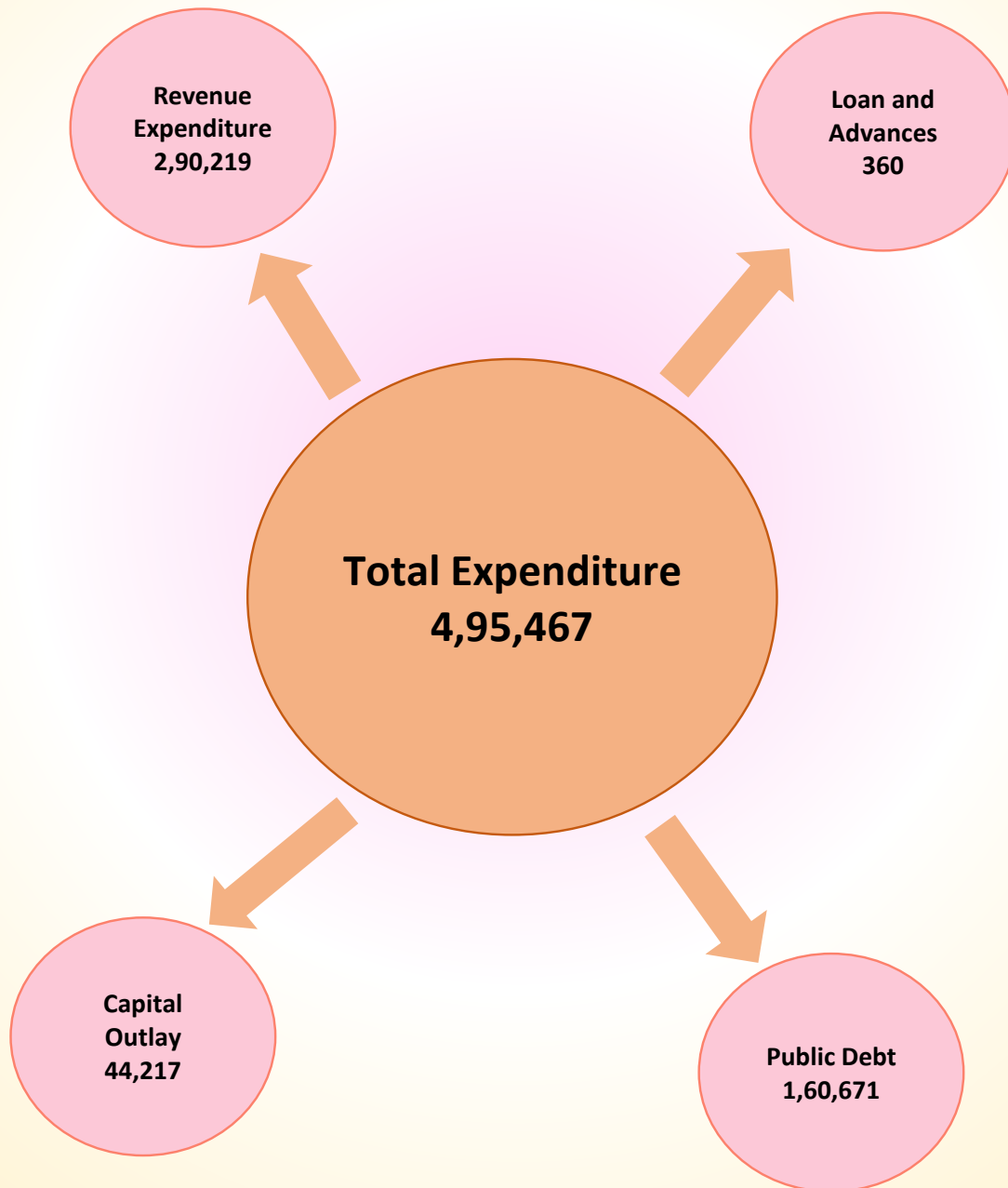
(₹ लाख / Lakh)

क्र.सं. S.N.	विवरण Particulars	लेखे Accounts 2022-23	आय-व्ययक अनुमान B.E. 2023-24	संशोधित अनुमान R.E. 2023-24	आय-व्ययक अनुमान (परि.) B.E.(Modi.) 2024-25
1	2	3	4	5	6
I	राजस्व व्यय Revenue Expenditure	22647929.34	25888367.82	26774384.25	29021939.65
(i)	सामान्य सेवाएं General Services	7187495.36	7593985.54	7935483.46	8720805.67
(ii)	सामाजिक सेवाएं Social Services	9016833.55	11098416.00	11548868.78	13079232.84
(iii)	आर्थिक सेवाएं Economic Services	6443600.43	7195966.28	7290032.01	7221901.14
II	पूंजीगत व्यय Capital Expenditure	14571066.45	13197280.13	20921780.68	20524769.93
1.	पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay	1979828.09	3806146.78	3484351.33	4421647.95
(i)	सामान्य सेवाएं General Services	54245.67	129128.82	63852.61	129065.53
(ii)	सामाजिक सेवाएं Social Services	885067.98	1871101.38	1617714.32	2056520.43
(iii)	आर्थिक सेवाएं Economic Services	1040514.44	1805916.58	1802784.40	2236061.99
2.	लोक ऋण Public Debt	12573760.76	9376581.79	17387285.23	16067080.45
3.	ऋण एवं अग्रिम Loan and Advances	17477.60	14551.56	50144.12	36041.53
	कुल व्यय Total Expenditure	37218995.79	39085647.95	47696164.93	49546709.58

व्यय

₹ करोड़ / Crore

EXPENDITURE



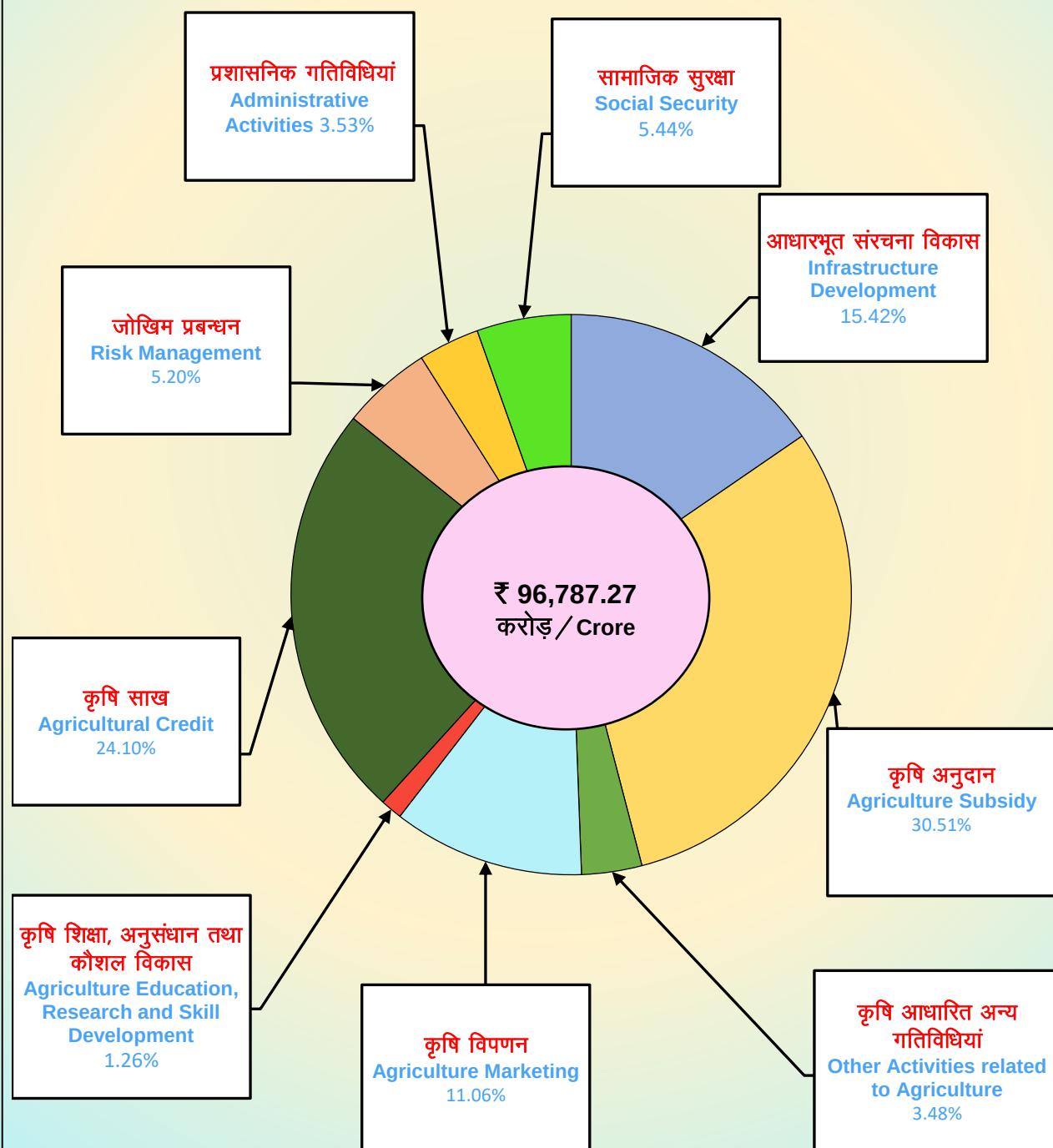
कृषि, कृषक कल्याण एवं सम्बद्ध गतिविधियों का क्षेत्रवार विवरण
वित्तीय वर्ष 2024-25
Sectorwise Details of Agriculture, Farmer Welfare and
Allied Activities
Financial Year 2024-25

(₹ करोड़ / Crore)

क्र.सं. S.N.	गतिविधियां Activities	राशि Amount
1	2	3
1.	आधारभूत संरचना विकास Infrastructure Development	14921.68
2.	कृषि अनुदान Agriculture Subsidy	29532.05
3.	कृषि आधारित अन्य गतिविधियां Other Activities related to Agriculture	3372.55
4.	कृषि विपणन Agriculture Marketing	10701.00
5.	कृषि शिक्षा, अनुसंधान तथा कौशल विकास Agriculture Education, Research and Skill Development	1219.02
6.	कृषि साख Agricultural Credit	23328.37
7.	जोखिम प्रबन्धन Risk Management	5029.88
8.	प्रशासनिक गतिविधियां Administrative Activities	3414.60
9.	सामाजिक सुरक्षा Social Security	5268.12
	कुल योग Grand Total	96787.27

कृषि, कृषक कल्याण एवं सम्बद्ध गतिविधियों का क्षेत्रवार विवरण
वित्तीय वर्ष 2024-25

Sectorwise Details of Agriculture, Farmer Welfare and Allied Activities
Financial Year 2024-25



मुख्य विशेषताएं

प्रस्तावित योजना / परियोजनाओं के उद्देश्य

2024–25

योजनाओं के परिवर्तित उद्ध्यय 2024-25 के मुख्य बिन्दु

परिवर्तित आय-व्यय अनुमान 2024-25 में योजना उद्ध्यय अन्तर्गत ₹2,09,633.99 करोड़ प्रस्तावित है। योजनाओं के उद्ध्ययों का मुख्य क्षेत्रवार विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.स.	क्षेत्र	प्रस्तावित परिव्यय	कुल से प्रतिशत
1.	कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं	12239.00	5.84
2.	ग्रामीण विकास	20233.86	9.65
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	309.88	0.15
4.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	7419.29	3.54
5.	विद्युत	29631.34	14.14
6.	उद्योग एवं खनिज	2199.79	1.05
7.	परिवहन	13367.28	6.38
8.	वैज्ञानिक सेवाएं	30.79	0.01
9.	सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं	114857.49	54.79
10.	आर्थिक सेवाएं	4641.75	2.21
11.	सामान्य सेवाएं	4703.53	2.24
योग		209633.99	100.00

क्षेत्रवार मुख्य विशेषताएं:

1. कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं:

- कृषि विभाग के लिए ₹ 3,230.39 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित है:
 - ◆ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजना के लिए राशि ₹ 2,000.00 करोड़।
 - ◆ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए ₹ 460.21 करोड़।
 - ◆ राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन के लिए ₹ 142.28 करोड़।
 - ◆ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए ₹ 112.52 करोड़।
 - ◆ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए ₹ 100.00 करोड़।
 - ◆ परम्परागत कृषि विकास योजना के लिए ₹ 25.00 करोड़।
 - ◆ राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि मिशन के लिए ₹ 21.52 करोड़।
- उद्यानिकी विभाग के लिए ₹ 1,348.09 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित है:
 - ◆ सूक्ष्म सिंचाई योजना के लिए ₹ 438.35 करोड़।
 - ◆ सूक्ष्म सिंचाई योजना अन्तर्गत अतिरिक्त अनुदान के लिए ₹ 350.00 करोड़।
 - ◆ प्रधानमंत्री कुसुम योजना (घटक-ब) के लिए ₹ 299.16 करोड़।
 - ◆ राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए ₹ 114.76 करोड़।

- पांच कृषि विश्वविद्यालयों के लिए ₹ 397.35 करोड़ का प्रावधान।
- कृषि विपणन के लिये ₹ 464.46 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित है:
 - ◆ राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की विकास योजनाओं के लिये ₹ 380.00 करोड़।
 - ◆ प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के लिये ₹ 79.40 करोड़।
- पशुपालन विभाग के लिए ₹ 833.11 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित है:
 - ◆ पशु अस्पताल और औषधालयों के लिए ₹ 436.50 करोड़।
 - ◆ मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना के लिए ₹ 63.00 करोड़।
- पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के लिए ₹ 151.80 करोड़।
- गोपालन विभाग के लिए ₹ 2,008.17 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित है:
 - ◆ गौशालाओं के लिए ₹ 1,200.00 करोड़ का अनुदान।
 - ◆ मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के लिए ₹ 600.00 करोड़।
 - ◆ नंदीशाला योजना के लिए ₹ 100.00 करोड़।
 - ◆ गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के लिए ₹ 100.00 करोड़।
- वन विभाग के लिए ₹ 1,125.88 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित है:
 - ◆ परिभ्रंशित वनों का पुनरारोपण के लिये ₹ 240.05 करोड़।
 - ◆ राजस्थान वानिकी एवं जैव-विविधता विकास परियोजना (आरएफबीडीपी) के लिये ₹ 237.92 करोड़।
 - ◆ जलवायु परिवर्तन एवं रेगिस्तान विस्तार की रोकथाम योजना के लिये ₹ 199.99 करोड़।
- सहकारिता के लिये ₹ 2617.12 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित है:
 - ◆ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिये ₹ 1400.00 करोड़।
 - ◆ सहकारी समितियों के अच्छे ऋणियों को ब्याज अनुदान के लिए ₹ 480.00 करोड़।
 - ◆ सहकारी साख संस्थाओं को ब्याज हेतु अनुदान के लिए ₹ 324.00 करोड़।
 - ◆ मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के लिये ₹ 292.81 करोड़।
- जलग्रहण विकास एवं मृदा संरक्षण के लिये ₹ 52.81 करोड़ का प्रावधान।
- **महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य:**
 - ◆ खाद्यान्न फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल – 157.87 लाख हैक्टेयर
 - ◆ खाद्यान्नों का उत्पादन – 270.44 लाख मै. टन
 - ◆ तिलहन अन्तर्गत क्षेत्रफल – 64.31 लाख हैक्टेयर
 - ◆ तिलहन का उत्पादन – 104.41 लाख मै. टन
 - ◆ गन्ना अन्तर्गत क्षेत्रफल – 0.05 लाख हैक्टेयर
 - ◆ गन्ना उत्पादन – 3.84 लाख मै. टन
 - ◆ कपास अन्तर्गत क्षेत्रफल – 7.50 लाख हैक्टेयर
 - ◆ कपास उत्पादन – 28.68 लाख गांठें
 - ◆ कृत्रिम गर्भाधान – 48.33 लाख

- ◆ बंध्याकरण – 9.60 लाख
- ◆ मत्स्य बीज उत्पादन – 1,450 मिलियन (संख्या)
- ◆ मत्स्य उत्पादन – 1,15,000 मेट्रिक टन
- ◆ पौध वितरण – 339.70 लाख
- ◆ पौधारोपण (वानिकी) – 70,067.09 हैक्टेयर
- ◆ प्रधानमंत्री कुसुम योजना अन्तर्गत 1,00,000 सोलर सिस्टम की स्थापना।
- ◆ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (लघु सिंचाई) के अन्तर्गत 2,50,001 हैक्टेयर क्षेत्रफल उपचारित करना।

2. ग्रामीण विकास:

- ग्रामीण विकास क्षेत्र हेतु राशि ₹ 20,233.86 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित है:
 - ◆ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के लिए ₹ 5,018.46 करोड़।
 - ◆ केन्द्रीय वित्त आयोग के तहत पंचायतीराज संस्थाओं को अनुदान के रूप में ₹ 4,100.00 करोड़।
 - ◆ राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान के रूप में ₹ 4,000.00 करोड़।
 - ◆ खण्ड एवं मध्यमवर्तीय पंचायतों को सहायता के लिए ₹ 1,260.00 करोड़।
 - ◆ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लिए ₹ 1,000.00 करोड़।
 - ◆ विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के लिए ₹ 1000.00 करोड़।
 - ◆ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (जल ग्रहण घटक) के लिए ₹ 840.00 करोड़।
 - ◆ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए ₹ 618.35 करोड़।
 - ◆ मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के लिए ₹ 500.00 करोड़।
 - ◆ जिला परिषदों को सहायता के लिए ₹ 316.77 करोड़।
 - ◆ श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना (ग्रामीण) के लिए ₹ 120.00 करोड़।

➤ महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य:

- ◆ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत 34,970 गाँवों को खुले में शौचमुक्त (ओडीएफ प्लस) करना, 82,205 व्यक्तिगत शौचालय और 3,000 सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण।
- ◆ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अन्तर्गत 2,33,000 हैक्टेयर क्षेत्रफल उपचारित करना (वॉटरशेड कम्पोनेन्ट)।
- ◆ श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत 7.17 करोड़ थाली उपलब्ध कराना।

3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम:

- विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों के लिए ₹ 309.88 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित है:

- ◆ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना के लिए ₹ 150.00 करोड़।
- ◆ मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए ₹ 60.00 करोड़।
- ◆ मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए ₹ 39.92 करोड़।
- ◆ मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए ₹ 39.96 करोड़।

4. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण:

- सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण हेतु ₹ 7,419.29 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित है:
 - ◆ परवन परियोजना के लिये ₹ 750.00 करोड़।
 - ◆ राजस्थान वाटर सेक्टर री-स्ट्रेक्चरिंग प्रोजेक्ट फोर डेजर्ट एरीया के लिये ₹ 715.95 करोड़।
 - ◆ अपर हाई लेवल कैनल ऑन माही डेम के लिये ₹ 550.00 करोड़ एवं नांगलिया पिकअप वेयर के लिये ₹ 550.01 करोड़।
 - ◆ पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के लिए ₹ 402.22 करोड़।
 - ◆ माही परियोजना के लिए ₹ 400.00 करोड़।
 - ◆ जल संग्रहण संरचना कार्यों के लिये ₹ 395.87 करोड़।
 - ◆ राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना के लिये ₹ 246.14 करोड़।
 - ◆ सिंचित क्षेत्र विकास के लिये ₹ 642.31 करोड़ का प्रावधान।
 - ◆ इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर के लिये ₹ 654.80 करोड़ का प्रावधान।
 - ◆ इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर के लिये ₹ 175.85 करोड़ का प्रावधान।
 - ◆ बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के लिए ₹ 169.37 करोड़।
- महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य:
 - ◆ 64,339.11 हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन, जिसके अन्तर्गत—
 - 42,484.32 हैक्टेयर में वृहद्ध सिंचाई परियोजनाओं के द्वारा।
 - 8,800.38 हैक्टेयर में मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के द्वारा।
 - 13,054.41 हैक्टेयर में लघु सिंचाई परियोजनाओं के द्वारा।
 - ◆ 99,245 हैक्टेयर में पक्के खालों का निर्माण।

5. विद्युत:

- ऊर्जा क्षेत्र के लिये ₹ 29,631.34 करोड़ का प्रावधान, जिसमें सम्मिलित है:
 - विद्युत दरें नहीं बढ़ाने हेतु अनुदान योजना के लिए ₹ 17,551.21 करोड़।
 - विद्युत वितरण निगमों को राज्य सरकार से प्राप्त (टेरिफ) अनुदान के लिए ₹ 10,346.18 करोड़।
 - विद्युत कम्पनियों को ₹ 1,476.81 करोड़ का इक्विटी अंशदान जिसमें सम्मिलित है:
 - ◆ विद्युत वितरण निगमों के लिए ₹ 986.57 करोड़।

- ◆ राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के लिए ₹ 250.00 करोड़।
- ◆ राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के लिए ₹ 240.24 करोड़ का प्रावधान।
- कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत दरों में राहत हेतु ₹ 113.14 करोड़।

6. उद्योग एवं खनन:

- HPCL राजस्थान रिफाईनरी लिमिटेड के लिए ₹ 1,086.92 करोड़ का प्रावधान।
- उद्योग विभाग के लिए ₹ 901.35 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित है:
 - ◆ राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम के लिए ₹ 215.50 करोड़ एवं राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 के लिये ₹ 310.50 करोड़।
 - ◆ मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लिए ₹ 200.00 करोड़।
- रीको के लिए ₹ 67.00 करोड़ का प्रावधान।
- खान एवं भू-विज्ञान विभाग के लिए ₹ 48.81 करोड़ का प्रावधान।
- महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य:
 - ◆ मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 5,200 व्यक्तियों को ब्याज अनुदान।

7. परिवहन:

- सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए ₹ 11,986.10 करोड़ का प्रावधान।
 - ◆ ग्रामीण सड़क निर्माण के लिए ₹ 4,000.00 करोड़।
 - ◆ राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत ₹ 1,550.00 करोड़।
 - ◆ बाह्य सहायतित राजस्थान राज्य हाईवे विकास परियोजना के लिए ₹ 1,529.32 करोड़ (फेज-I ₹ 806.90 करोड़, फेज-II ₹ 722.42 करोड़)
 - ◆ आर.आई.डी.एफ. के अन्तर्गत नाबार्ड सहायतित सड़क कार्यों के लिए ₹ 1,200.00 करोड़।
 - ◆ केन्द्रीय सड़क निधि के तहत ₹ 1,000.00 करोड़।
 - ◆ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के लिए ₹ 953.68 करोड़।
 - ◆ मुख्य जिला सड़कों के सुदृढीकरण, नवीनीकरण एवं चौड़ाईकरण के लिए ₹ 500.00 करोड़।
 - ◆ सीमा सड़कों के लिए ₹ 505.38 करोड़।
 - ◆ राज्य राजमार्गों के लिए ₹ 400.00 करोड़।
- महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य:
 - ◆ 4,117 कि.मी. राज्य राजमार्ग/मुख्य जिला सड़कों का सुदृढीकरण, चौड़ाईकरण एवं नवीनीकरण।
 - ◆ 9,496 कि.मी. ग्रामीण सड़कों का सुदृढीकरण, उन्नयन एवं नवीनीकरण।
 - ◆ 5,321 कि.मी. ग्रामीण सड़कों का निर्माण।
 - ◆ 6,434 कि.मी. मिसिंग लिंक्स सड़कों का निर्माण।
 - ◆ 160 कि.मी. शहरी सड़कों का सुदृढीकरण, उन्नयन एवं नवीनीकरण।

- ◆ 1,274 गांवों को सड़कों से जोड़ना।
- परिवहन विभाग के लिये राशि ₹ 1,277.19 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित है:
 - ◆ मुफ्त/रियायती यात्राओं की राशि के पुनर्भरण के लिये ₹ 500.00 करोड़।
 - ◆ राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लिये अनुदान ₹ 500.00 करोड़ (वीजीएफ सहित)।
 - ◆ सड़क सुरक्षा निधि के लिये ₹ 107.56 करोड़।
- महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य:
 - ◆ आरएसआरटीसी बसों (राजस्थान क्षेत्र में) में मुफ्त/रियायती यात्रा के अन्तर्गत 12 करोड़ व्यक्तियों/यात्रियों को लाभ।

8. वैज्ञानिक सेवाएं:

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिये ₹ 26.48 करोड़ का प्रावधान।
- पर्यावरण विभाग के लिये ₹ 4.31 करोड़ का प्रावधान।

9. सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं:

शिक्षा

- प्राथमिक शिक्षा के लिये ₹ 22,232.99 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित है:
 - ◆ समग्र शिक्षा अभियान (समसा) के लिए ₹ 15,224.79 करोड़।
 - ◆ समग्र शिक्षा – स्टार परियोजना के लिए ₹ 713.38 करोड़।
 - ◆ प्राथमिक विद्यालयों के लिए पंचायतीराज विभाग के माध्यम से ₹ 4,772.60 करोड़।
 - ◆ शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत निजी विद्यालयों को शिक्षण शुल्क का पुनर्भरण (RTE) के लिए ₹ 900.00 करोड़।
 - ◆ पी.एम. श्री योजना के लिये ₹ 295.32 करोड़।
 - ◆ राजकीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों के निःशुल्क वितरण के लिए ₹ 160.00 करोड़।
- मिड-डे-मील के लिए ₹ 2,506.88 करोड़ का प्रावधान जिसमें मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के ₹ 1,025.00 करोड़ सम्मिलित।
- माध्यमिक शिक्षा के लिये राशि ₹ 15,300.08 करोड़ प्रावधान जिसमें सम्मिलित है:
 - ◆ माध्यमिक विद्यालयों के लिए ₹ 11,172.37 करोड़।
 - ◆ समग्र शिक्षा अभियान (समसा) के लिए ₹ 2,581.27 करोड़।
 - ◆ खण्ड स्तर पर उच्च गुणवत्ता के मॉडल विद्यालयों की स्थापना के लिए ₹ 488.73 करोड़।
 - ◆ पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जाति के लिए ₹ 220.54 करोड़।
 - ◆ छात्राओं को साईकिल वितरण के लिए ₹ 252.87 करोड़।
 - ◆ प्रतिभावान छात्राओं को प्रोत्साहन के लिए ₹ 90.00 करोड़।

- ◆ पाठ्य पुस्तकों के निःशुल्क वितरण के लिए ₹ 65.00 करोड़।
- महाविद्यालय शिक्षा विभाग के लिए ₹ 1,674.14 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित है:
 - ◆ महाविद्यालय विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए ₹ 225.01 करोड़।
 - ◆ महाविद्यालय भवनों के लिए ₹ 529.05 करोड़।
- खेल एवं युवा कल्याण के लिए ₹ 271.05 करोड़ का प्रावधान।
- संस्कृत शिक्षा के लिए ₹ 210.07 करोड़ का प्रावधान, जिसमें संस्कृत विद्यालयों के लिए ₹ 194.18 करोड़ सम्मिलित है।
- तकनीकी शिक्षा विभाग के लिए ₹ 124.25 करोड़ का प्रावधान।
- **महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य:**
 - ◆ शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 9.50 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य।
 - ◆ मिड-डे-मील एवं मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजनान्तर्गत 62.64 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य।
 - ◆ प्रतिभावान बालिका प्रोत्साहन योजनान्तर्गत 1.90 लाख छात्राओं को प्रोत्साहन राशि।
 - ◆ स्कूटी वितरण योजना अन्तर्गत 30,000 छात्राओं को स्कूटी वितरण।
 - ◆ माध्यामिक शिक्षा विभाग में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति अन्तर्गत 6.13 लाख अनुसूचित जाति, 5.07 लाख अनुसूचित जनजाति एवं 1.32 लाख अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य।
 - ◆ प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति अन्तर्गत 1.45 लाख अनुसूचित जाति एवं 1.55 लाख अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य।
 - ◆ साइकिल वितरण योजनान्तर्गत 4 लाख छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य।
 - ◆ मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति अन्तर्गत 1,00,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र (आयुष सहित) के लिये ₹ 18,140.82 करोड़ का प्रावधान।
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए ₹ 6,889.38 करोड़ का प्रावधान, जिसमें सम्मिलित है:
 - ◆ मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के लिए ₹ 1,915.00 करोड़।
 - ◆ मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के लिए ₹ 1,352.32 करोड़।
 - ◆ मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए ₹ 585.00 करोड़।
 - ◆ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए ₹ 969.17 करोड़।
 - ◆ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए ₹ 648.44 करोड़।
 - ◆ उप स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए ₹ 229.62 करोड़।
 - ◆ नाबार्ड सहायित प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवनों के निर्माण के लिए ₹ 150.00 करोड़।

- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए ₹ 3,890.21 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित हैं:
 - ◆ राष्ट्रीय आयुष मिशन के लिए ₹ 3,043.88 करोड़।
 - ◆ प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिये ₹ 577.74 करोड़।
 - ◆ एम्बुलेन्स सेवा योजना के लिए ₹ 268.59 करोड़।
- परिवार कल्याण विभाग के लिए ₹ 1,651.64 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित हैं:
 - ◆ ग्रामीण उप केन्द्र के लिए ₹ 972.20 करोड़।
 - ◆ मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य टीकाकरण तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिये ₹ 301.95 करोड़।
 - ◆ जिला परिवार कल्याण ब्यूरो के लिए ₹ 169.33 करोड़।
 - ◆ शहरी परिवार कल्याण केन्द्र के लिए ₹ 121.08 करोड़।
- चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए ₹ 2,702.59 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित हैं:
 - ◆ नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए ₹ 1,475.75 करोड़।
 - ◆ राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसाइटी के लिए ₹ 709.17 करोड़।
- चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर के लिए ₹ 751.95 करोड़ का प्रावधान।
- चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर के लिए ₹ 635.62 करोड़ का प्रावधान।
- चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर के लिए ₹ 325.58 करोड़ का प्रावधान।
- चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा के लिए ₹ 296.38 करोड़ का प्रावधान।
- चिकित्सा महाविद्यालय, अजमेर के लिए ₹ 228.25 करोड़ का प्रावधान।
- चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर के लिए ₹ 244.85 करोड़ का प्रावधान।
- आयुष (आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी) के लिए ₹ 457.32 करोड़ का प्रावधान।
- राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर के लिए ₹ 22.20 करोड़ का प्रावधान।
- आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण के लिए ₹ 43.18 करोड़ का प्रावधान जिसमें शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के ₹ 27.49 करोड़ सम्मिलित।
- **महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य:**
 - ◆ 1.33 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज।
 - ◆ 15 जिला चिकित्सालयों, 15 उप जिला चिकित्सालयों, 36 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 02 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 02 उप स्वास्थ्य केन्द्रों एवं 01 सैटेलाईट चिकित्सालय के भवनों का निर्माण।

जन-स्वास्थ्य एवं अभियान्त्रिकी विभाग

- शहरी एवं ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के लिए ₹6,717.44 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित है:
 - ◆ वृहद पेयजल परियोजनाओं में रेट्रोफिटिंग द्वारा जलजीवन मिशन के अन्तर्गत (एफ.एच. टी.सी.) उपलब्ध करवाये जाने के लिये ₹ 904.72 करोड़।
 - ◆ जल-जीवन मिशन अन्तर्गत संवर्द्धन एवं पुनर्गठन के लिए ₹ 705.28 करोड़।
 - ◆ राजीव गाँधी लिफ्ट कैनाल (तृतीय चरण) के लिए ₹ 500.00 करोड़।
 - ◆ ईसरदा बांध परियोजना के लिए ₹ 209.58 करोड़।

➤ **महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य:**

- ◆ जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 25 लाख फंक्शनल घरेलू नल कनेक्शन (एफ.एच.टी.सी.)।

आवास एवं नगरीय विकास

➤ आवास एवं नगरीय विकास क्षेत्र के लिये ₹17,215.49 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित है:

- ◆ अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन (अमृत) मिशन-2.0 के लिए ₹ 3,981.94 करोड़।
- ◆ चुंगी समाप्ति पुनर्भरण के लिये स्थानीय निकायों को अनुदान के लिए ₹ 3,190.05 करोड़।
- ◆ केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में ₹ 2,464.58 करोड़।
- ◆ राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में ₹ 1,474.08 करोड़।
- ◆ राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना के लिए ₹ 1,334.80 करोड़।
- ◆ राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि के लिए ₹ 1,278.22 करोड़।
- ◆ प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ₹ 900.00 करोड़।
- ◆ स्थानीय शहरी निकायों में सड़कों की मरम्मत/पुनरुद्धार के लिए ₹ 700.00 करोड़।
- ◆ स्वच्छ भारत मिशन-2.0 के लिए ₹ 608.46 करोड़।
- ◆ इन्दिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए ₹ 300.00 करोड़।
- ◆ जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड एवं कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड के लिए ₹ 139.00 करोड़।

➤ **महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य:**

- ◆ श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना (शहरी) अन्तर्गत 9.21 करोड़ थालियां उपलब्ध करवाने का लक्ष्य।
- ◆ इन्दिरा गाँधी शहरी रोजगार गारन्टी योजना अन्तर्गत 3.20 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाने का लक्ष्य।
- ◆ दीनदयाल अन्त्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत 2,000 स्वयं सहायता समूहों का गठन एवं रिवॉल्विंग फण्ड प्रदान करना।
- ◆ दीनदयाल अन्त्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत 1,560 शहरी गरीबों को सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने हेतु बैंकों से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।
- ◆ 12,300 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का (स्वच्छ भारत मिशन-2.0) निर्माण।
- ◆ प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अन्तर्गत 1,24,719 ई.डब्ल्यू.एस घरों का निर्माण।
- ◆ अमृत 2.0 के अन्तर्गत 2,146.84 किमी सीवर लाईन बिछाना एवं 25.1 एमएलडी के 5 एसटीपी का निर्माण।

श्रम एवं श्रम कल्याण

- रोजगार विभाग के लिए ₹ 949.61 करोड़ का प्रावधान जिसमें ₹ 866.45 करोड़ मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के सम्मिलित।
- श्रम विभाग के लिए ₹ 724.30 करोड़ का प्रावधान जिसमें ₹ 720.00 करोड़ भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल के लिये सम्मिलित।
- **महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य:**
 - ◆ मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत 2,00,000 बेरोजगार व्यक्तियों को सहायता।

समाज कल्याण

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के लिए ₹ 17,253.71 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित है:
 - ◆ मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के लिए ₹ 8,625.00 करोड़।
 - ◆ मुख्यमंत्री विधवा सम्मान पेंशन योजना के लिए ₹ 3,450.00 करोड़।
 - ◆ मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के लिए ₹ 1,019.00 करोड़।
 - ◆ राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.) के लिए ₹ 610.85 करोड़ का प्रावधान है, जिसमें अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन हेतु ₹ 385.66 करोड़, विधवा पेंशन हेतु ₹ 211.88 करोड़ एवं निःशक्तजन पेंशन हेतु ₹ 13.31 करोड़ सम्मिलित हैं।
 - ◆ लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना के लिए ₹ 373.00 करोड़।
 - ◆ पालनहार योजना के लिए ₹ 1,110.00 करोड़।
 - ◆ देवनारायण योजना के लिए ₹ 371.61 करोड़।
 - ◆ अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ₹ 202.70 करोड़।
 - ◆ अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ₹ 305.00 करोड़।
 - ◆ अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ₹ 80.00 करोड़।
 - ◆ प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के लिए ₹ 70.08 करोड़।
- **महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य:**
 - ◆ वृद्धावस्था, विधवा एवं विशेष योग्यजनों के लिये मुख्यमंत्री सम्मान पेंशन योजनान्तर्गत 87.96 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य, जिसमें राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत 12.16 लाख व्यक्ति शामिल हैं:—
 - 51.17 लाख व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन।
 - 18.36 लाख विधवाओं को विधवा पेंशन।
 - 6.27 लाख व्यक्तियों को विशेष योग्यजन पेंशन।
 - ◆ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के 7.15 लाख विद्यार्थियों को उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति से लाभान्वित करने का लक्ष्य—
 - 4.61 लाख अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति।
 - 1.79 लाख अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति।

- 0.75 लाख अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति।

विशेष योग्यजन निदेशालय

- विशेष योग्यजन निदेशालय के लिए ₹ 187.15 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित है:
 - ◆ राज्य दिव्यांग कल्याण निधि के लिए ₹ 20.00 करोड़।
- महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य:
 - ◆ 1,500 व्यक्तियों को प्रोस्थेटिक सहायता अनुदान।
 - ◆ 450 व्यक्तियों को मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत अनुदान।
 - ◆ विवाह हेतु 200 विशेष योग्यजनों को सहायता।
 - ◆ 150 विशेष योग्यजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति।

जनजाति क्षेत्रीय विकास

- जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिये ₹ 1,206.50 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित हैं:
 - ◆ “जनजाति कल्याण निधि” अन्तर्गत निर्बन्ध अनुदान के रूप में ₹ 647.84 करोड़।
 - ◆ जनजाति विकास कोष के लिए ₹ 183.00 करोड़।
 - ◆ जनजाति उपयोजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता के ₹ 175.27 करोड़।
 - ◆ भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) प्रावधानों के अन्तर्गत ₹ 103.50 करोड़।
- महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य:
 - ◆ 29,775 विद्यार्थियों को आश्रम छात्रावास, 92,070 विद्यार्थियों को माँ-बाड़ी केन्द्रों एवं 5,160 विद्यार्थियों को आवासीय विद्यालय/मॉडल पब्लिक विद्यालय से लाभान्वित करने का लक्ष्य।
 - ◆ 1.30 लाख सहरिया, खैरवा व कथौड़ी व्यक्तियों को दाल, तेल एवं देशी घी का मुफ्त वितरण।

महिला एवं बाल विकास

- महिला विकास कार्यक्रमों हेतु ₹ 1175.42 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित हैं:
 - ◆ इन्दिरा महिला शक्ति योजना (आई.एम.शक्ति) के लिए ₹ 594.54 करोड़।
 - ◆ लाडो प्रोत्साहन योजना के लिए ₹ 100.00 करोड़।
 - ◆ मुख्यमंत्री राजश्री योजना के लिए ₹ 320.00 करोड़।
- बाल विकास सेवाओं हेतु ₹ 3,677.88 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित हैं:
 - ◆ समेकित बाल विकास योजना के लिए ₹ 1,542.29 करोड़।
 - ◆ पूरक पोषाहार के लिए ₹ 1,305.00 करोड़।
 - ◆ प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के लिए ₹ 406.80 करोड़।
 - ◆ इन्दिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना के लिए ₹ 150.00 करोड़।
 - ◆ राष्ट्रीय पोषाहार मिशन के लिए ₹ 144.60 करोड़।
- महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य:
 - ◆ 50 लाख बच्चों एवं महिलाओं को पूरक पोषाहार से लाभान्वित करने का लक्ष्य।

- ◆ 3.65 लाख महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजनान्तर्गत (पी.एम.एम.वी.वाई) लाभान्वित करने का लक्ष्य।

अल्पसंख्यक विकास

- अल्पसंख्यक विकास कार्यक्रम के लिए ₹ 463.52 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित हैं:
 - ◆ मॉडल रेजिडेन्सियल स्कूल, जयपुर के लिए ₹ 127.62 करोड़।
 - ◆ मदरसा स्कूलों के लिए ₹ 118.00 करोड़।
- महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य:
 - ◆ 2,998 आवेदकों को मुख्यमंत्री अनुप्रति योजनान्तर्गत लाभान्वित करने का लक्ष्य।

बाल अधिकारिता निदेशालय

- बाल अधिकारिता निदेशालय के लिए ₹ 119.07 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित हैं:
 - ◆ समेकित बाल संरक्षण योजना के लिए ₹ 75.00 करोड़।

देवस्थान विभाग

- देवस्थान विभाग के लिए ₹ 85.36 करोड़ का प्रावधान, जिसमें ₹ 50.00 करोड़ वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के सम्मिलित।

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग

- राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के लिए ₹ 3,214.18 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित हैं:
 - ◆ राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना 2021 के लिए ₹ 2,609.25 करोड़।
 - ◆ मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के लिए ₹ 453.30 करोड़।
 - ◆ जीवन दुर्घटना बीमा योजना के लिये ₹ 151.64 करोड़।

10. आर्थिक सेवाएं:

- सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के लिए ₹ 1,748.82 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित हैं:
 - ◆ राजीव गाँधी फिनटेक डिजीटल इंस्टीट्यूट जोधपुर के लिए ₹ 329.10 करोड़।
 - ◆ कमान्ड एवं कंट्रोल सेन्टर के लिए ₹ 211.00 करोड़।
- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के लिए ₹ 1,562.54 करोड़ का प्रावधान, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लिए ₹ 607.53 करोड़ सम्मिलित।
- आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के लिए ₹ 124.47 करोड़ का प्रावधान, जिसमें राजस्थान जनआधार योजना के लिए ₹ 30.40 करोड़ सम्मिलित।
- पर्यटन विभाग के लिए ₹ 416.52 करोड़ का प्रावधान।

11. सामान्य सेवाएं:

- आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के लिए ₹ 2,786.06 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित हैं:
 - ◆ राज्य आपदा मोचन निधि के लिए ₹ 1,828.80 करोड़।
 - ◆ प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदा राहत निधि के लिए ₹ 500.00 करोड़।
 - ◆ राज्य आपदा मिटिगेशन निधि के लिए ₹ 457.20 करोड़।
- विधि विभाग के लिए ₹ 525.77 करोड़ का प्रावधान।
- पुलिस विभाग के लिए ₹ 460.45 करोड़ का प्रावधान।
- वाणिज्य कर विभाग के लिए ₹ 297.91 करोड़ का प्रावधान जिसमें राजस्थान निवेश संवर्द्धन नीति के तहत अनुदान के लिए ₹ 260.35 करोड़ का प्रावधान सम्मिलित।
- होम गार्ड्स विभाग के लिए ₹ 151.58 करोड़ का प्रावधान।
- कोष एवं लेखा विभाग के लिए ₹ 62.82 करोड़ का प्रावधान।

HIGHLIGHTS

SCHEMES / PROJECTS OUTLAY

2024-25

Highlights of Modified Schematic Outlay 2024-25

₹2,09,633.99 crore are proposed under Schematic Outlay in Modified Budget Estimates 2024-25. The Sector-wise details of the Schemes outlay is as under:-

(₹ in crore)

S. No.	Sector	Proposed Outlay	% to Total
1.	Agriculture & Allied Services	12239.00	5.84
2.	Rural Development	20233.86	9.65
3.	Special Area Programme	309.88	0.15
4.	Irrigation & Flood Control	7419.29	3.54
5.	Power	29631.34	14.14
6.	Industry & Minerals	2199.79	1.05
7.	Transport	13367.28	6.38
8.	Scientific Services	30.79	0.01
9.	Social & Community Services	114857.49	54.79
10.	Economic Services	4641.75	2.21
11.	General Services	4703.53	2.24
Total		209633.99	100.00

Sector-wise Highlights:

I. Agriculture & Allied Services

- Provision of ₹3,230.39 crore for Agriculture Department which includes;
 - ₹ 2,000.00 crore for PM Fasal Bima Yojana & Weather Based Crop Insurance Scheme
 - ₹ 460.21 crore for National Food Security Mission
 - ₹ 142.28 crore for National Mission on Agriculture Extension and Technology
 - ₹ 112.52 crore for Rastriya Krishi Vikas Yojana (RKVY)
 - ₹ 100.00 crore for Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana
 - ₹ 25.00 crore for Paramparagat Krishi Vikas Yojana
 - ₹ 21.52 crore for National Mission on Sustainable Agriculture
- Provision of ₹1,348.09 crore for Horticulture Department which includes;
 - ₹ 438.35 crore for Micro Irrigation Scheme
 - ₹ 350.00 crore for Additional Subsidy for Micro Irrigation Scheme
 - ₹ 299.16 crore for PM KUSUM Scheme (Component-B)
 - ₹ 114.76 crore for National Horticulture Mission

- Provision of ₹397.35 crore for Five Agriculture Universities
- Provision of ₹464.46 crore for Agriculture Marketing which includes;
 - ₹ 380.00 Crore for Development Schemes of RSAMB
 - ₹ 79.40 crore for PM Formalization of Micro Food Processing Enterprises Scheme
- Provision of ₹833.11 crore for Animal Husbandry Department which includes;
 - ₹ 436.50 crore for Veterinary Hospitals and Dispensaries
 - ₹ 63.00 crore for Mukhyamantri Pashudhan Nishulk Dava Yojana
- Provision of ₹151.80 crore for Veterinary & Animal Science University, Bikaner.
- Provision of ₹2,008.17 crore for Gopalan Department which includes;
 - ₹ 1200.00 crore for Grant to Goshalas
 - ₹ 600.00 crore for Mukhyamantri Milk Producer Sambal Scheme
 - ₹ 100.00 crore for Nandishala Scheme
 - ₹ 100.00 crore for Gopal Credit Card Scheme
- Provision of ₹1,125.88 crore for Forest Department which includes;
 - ₹ 240.05 crore for Regeneration of Degraded Forests
 - ₹ 237.92 crore for Rajasthan Forest & Bio-Diversity Development Project (RFBDP)
 - ₹ 199.99 crore for Climate Change and Combating Desertification
- Provision of ₹2,617.12 crore for Cooperative, which includes;
 - ₹ 1,400.00 crore for Pradhanmantri Kisan Samman Nidhi Yojana
 - ₹ 480.00 crore for Interest subsidy to good loanee of cooperative societies
 - ₹ 324.00 crore for Interest Subsidy for Credit Cooperative Institutions
 - ₹ 292.81 crore for Mukhyamantri Nishulk Annapurna Food Packet Scheme
- Provision of ₹52.81 crore for Watershed Development and Soil Conservation
- **Important physical targets:**
 - Area under Food Crops – 157.87 lakh hect.
 - Production of Food grains – 270.44 lakh M.T.
 - Area under Oilseeds – 64.31 lakh hect.
 - Production of Oilseeds – 104.41 lakh M.T.
 - Area under Sugarcane – 0.05 lakh hect.
 - Production of Sugarcane – 3.84 lakh M.T.
 - Area under Cotton – 7.50 lakh hect.

- Production of Cotton – 28.68 lakh bales
- Artificial Insemination – 48.33 lakh
- Castration – 9.60 lakh
- Fish Seed Production – 1,450 Million (No.)
- Fish Production – 1,15,000 M.T.
- Distribution of Plants – 339.70 lakh
- Plantation (Forestry) – 70,067.09 hect.
- Installation of 1,00,000 solar system under PM-KUSUM Scheme.
- 2,50,001 Hectare Area to be treated under Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (Micro Irrigation).

II. Rural Development

➤ ₹20,233.86 crore for Rural Development Sector which includes;

- ₹ 5,018.46 crore for National Rural Employment Guarantee Scheme (NREGS)
- ₹ 4,100.00 crore as Grants to PRIs under Central Finance Commission
- ₹ 4,000.00 crore as Grants to PRIs under State Finance Commission
- ₹1,260.00 crore aid to Block and Mid Level Panchayats
- ₹ 1,000.00 crore for Swachh Bharat Mission (Rural)
- ₹ 1,000.00 crore for MLA Local Area Development Scheme
- ₹ 840.00 crore for Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (Watershed Component)
- ₹ 618.35 crore for National Rural Livelihood Mission
- ₹ 500.00 crore for Mukhyamantri Jal Swavlamban Abhiyan
- ₹ 316.77 crore for aid to Zila Parishad
- ₹ 120.00 crore for Shri Annapurna Rasoi Yojana (Grameen)

➤ **Important physical targets:**

- Making 34,970 villages Open Defecation Free (ODF) Plus, Construction of 82,205 IHHL and 3,000 Community Sanitary Complex (CSC) under Swachh Bharat Mission (G).
- 2,33,000 Hectare Area to be treated under Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (Watershed Component).
- Target to provide 7.17 crore Talis under Shri Annapurna Rasoi Yojana (G).

III. Special Area Programme

➤ Provision of ₹ 309.88 crore for Special Area Programmes which includes;

- ₹ 150.00 crore for Shyama Prashad Mukharjee Zila Utthan Yojana

- ₹ 60.00 crore for Mukhyamantri Rural Employment Guarantee Scheme.
- ₹ 39.92 crore for Magra Area Development Programme.
- ₹ 39.96 crore for Mewat Area Development Programme.

IV. Irrigation & Flood Control

- Provision of ₹7419.29 crore for Irrigation & Flood Control which includes;
 - ₹ 750.00 crore for Parwan Project.
 - ₹ 715.95 crore for Rajasthan Water Sector Restructuring Project for Desert Area
 - ₹ 550.00 crore for Upper High Level Canal on Mahi Dam and ₹ 550.01 crore for Nangaliya Pickup Ware.
 - ₹ 402.22 crore for Eastern Rajasthan Canal Project.
 - ₹ 400.00 crore for Mahi Project.
 - ₹ 395.87 crore for Water Harvesting Structures.
 - ₹ 246.14 crore for Rajasthan Water Sector Livelihood Improvement Project.
 - Provision of ₹ 642.31 crore for Command Area Development.
 - Provision of ₹ 654.80 crore for Indira Gandhi Nahar Project, Bikaner.
 - Provision of ₹ 175.85 crore for Indira Gandhi Nahar Project, Jaisalmer.
 - ₹ 169.37 crore for Dam Rehabilitation & Improvement Project.
- **Important physical targets:**
 - Additional irrigation potential to be created in 64339.11 hectares-
 - 42,484.32 hect. through Major Irrigation Schemes.
 - 8,800.38 hect. through Medium Irrigation Projects.
 - 13,054.41 hect. through Minor Irrigation Schemes.
 - Target for construction of lined field channels in 99,245 Hectare.

V. Power

Provision of ₹29,631.34 crore for Power Sector which Includes;

- Provision of ₹17,551.21 crore for Power Tariff Subsidy.
- Provision of ₹10,346.18 crore to Discoms for Tariff Subsidy received from State Government
- ₹ 1,476.81 crore as Equity Support to Power Companies which includes;
 - ₹ 986.57 crore for Vidhyut Vitran Nigam
 - ₹ 250.00 crore for Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam
 - ₹ 240.24 crore for Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran Nigam

- Provision of ₹113.14 crore for Agriculture Consumers for Relief in Power Tariff.

VI. Industry and Minerals

- Provision of ₹1,086.92 crore for HPCL Rajasthan Refinery Ltd.
- Provision of ₹901.35 crore for Industries Department which includes;
 - ₹ 215.50 crore for Rajasthan Investment Promotion Scheme and ₹ 310.50 crore for Rajasthan Investment Promotion Scheme, 2019
 - ₹ 200.00 crore for Mukhyamantri Laghu Udhog Protsahan Yojana.
- Provision of ₹67.00 crore for RIICO.
- Provision of ₹48.81 crore for Mines & Geology Department.
- **Important physical targets:**
 - Interest Subsidy to 5,200 persons under Mukhyamantri Laghu Udhog Protsahan Yojana.

VII. Transport

- Provision of ₹11,986.10 crore for Public Works Department which includes;
 - ₹ 4,000.00 crore for Rural Roads Construction.
 - ₹ 1,550.00 crore under State Road Fund (SRF).
 - ₹ 1,529.32 crore for Externally Aided Rajasthan State Highway Development Project (Phase-I ₹806.90 crore, Phase-II ₹722.42 crore).
 - ₹ 1,200.00 crore for NABARD assisted road works under RIDF.
 - ₹ 1,000.00 crore under Central Road Fund (CRF).
 - ₹ 953.68 crore for Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY).
 - ₹ 500.00 crore for Strengthening, Modernization and Widening of Major District Roads.
 - ₹ 505.38 crore for Border Roads
 - ₹ 400.00 crore for State Highways.
- **Important physical targets:**
 - Strengthening, Widening & Renewal of 4,117 Km State Highway/ Major Districts Roads.
 - Strengthening/Upgradation/Renewal of 9,496 Km. Rural Roads.
 - Construction of 5,321 Km Rural Roads.
 - Construction of 6,434 Km Missing Link Roads.
 - Strengthening/Upgradation/Renewal of 160 Km. Urban Roads.
 - To connect 1,274 villages with Roads.

- Provision of ₹1,277.19 crore for Transport Department which includes;
 - ₹ 500.00 crore for Reimbursement of Free/Concessional Journey.
 - ₹ 500.00 crore for Grant to RSRTC (including VGF).
 - ₹ 107.56 crore for Road Safety Fund.

➤ **Important physical targets:**

- Target to benefit 12 Crore persons/passengers under free/concessional journey in RSRTC Buses (In Rajasthan Territory).

VIII. Scientific Services

- Provision of ₹26.48 crore for Science & Technology.
- Provision of ₹4.31 crore for Environment Department.

IX. Social & Community Services:

Education

- Provision of ₹ 22,232.99 crore for Elementary Education which includes;
 - ₹ 15,224.79 crore for Samagra Shiksha Abhiyan (SAMSA).
 - ₹ 713.38 crore for Samagra Shiksha – Star Project.
 - ₹ 4,772.60 crore for Primary Schools through Panchayat-Raj Department.
 - ₹ 900.00 crore for reimbursement of tuition fee to Private Schools under Right to Education (R.T.E.) Act.
 - ₹ 295.32 crore for PM Shree Yojana
 - ₹ 160.00 crore for Free Books distribution in Government Schools of class 1 to 8 students.
- Provision of ₹2,506.88 crore for Mid Day Meal which includes ₹1,025.00 crore for Mukhyamantri Bal Gopal Yojana.
- Provision of ₹15,300.08 crore for Secondary Education which includes;
 - ₹ 11,172.37 crore for Secondary Schools.
 - ₹ 2,581.27 crore for Samagra Shiksha Abhiyan (SAMSA).
 - ₹ 488.73 crore for establishment of High Quality Model Schools at Block Level.
 - ₹ 220.54 crore for Pre-Matric Scholarship to SC/ST/OBC.
 - ₹ 252.87 crore for Cycle Distribution to Girl students.
 - ₹ 90.00 crore for Incentive to Meritorious Girl Students.
 - ₹ 65.00 crore for Free Book Distribution.
- Provision of ₹1,674.14 crore for College Education Department which includes;

- ₹ 225.01 crore for Scholarships to college students.
- ₹ 529.05 crore for college buildings.
- Provision of ₹271.05 crore for Sports & Youth Welfare.
- Provision of ₹210.07 crore for Sanskrit Education, which includes ₹194.18 crore for Sanskrit Schools.
- Provision of ₹124.25 crore for Technical Education Department.
- **Important physical targets:**
 - Target to benefit 9.50 lakh students under R.T.E.
 - Target to benefit 62.64 lakh students under Mid Day Meal scheme & Mukhyamantri Bal Gopal Yojana.
 - Benefit to 1.90 lakh Girl students under Incentive for Meritorious Girl scheme.
 - Benefit to 30,000 Girl students under Scooty Distribution scheme.
 - Target to benefit 6.13 lakh SC Students, 5.07 lakh ST Students and 1.32 lakh OBC Students under Pre-Matric Scholarship for Secondary Education Department.
 - Target to benefit 1.45 lakh SC Students, 1.55 lakh ST Students under Pre-Matric Scholarship for Elementary Education Department.
 - Target to benefit 4.00 lakh Girl students under Cycle Distribution scheme.
 - Target to benefit 1,00,000 students under CM Higher Education Scholarship.

Medical & Health

Provision of ₹18,140.82 crore for Medical & Health Sector including Ayush.

- Provision of ₹6,889.38 crore for Medical & Health Department which includes:
 - ₹ 1,915.00 crore for Mukhyamantri Ayushman Aarogya Yojana.
 - ₹ 1,352.32 crore for Mukhyamantri Nisulk Nirogi Rajasthan Yojana.
 - ₹ 585.00 crore for Mukhyamantri Chiranjeevi Swasthya Bima Yojana.
 - ₹ 969.17 crore for Community Health Centers.
 - ₹ 648.44 crore for Primary Health Centers.
 - ₹ 229.62 crore for Health Sub-Centers.
 - ₹ 150.00 crore for construction of buildings of Primary Health Centers and Community Health Centers under NABARD.
- Provision of ₹3,890.21 crore for National Rural Health Mission which includes;
 - ₹ 3,043.88 crore for National Ayush Mission.
 - ₹ 577.74 crore for PM Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission.
 - ₹ 268.59 crore for Ambulance Service Yojana.

- Provision of ₹1,651.64 crore for Family Welfare Department which includes;
 - ₹ 972.20 crore for Rural Sub-Centers.
 - ₹ 301.95 crore for Mother & Child Health Vaccination and Family Welfare Programme.
 - ₹ 169.33 crore for District Family Welfare Bureau.
 - ₹ 121.08 crore for Urban Family Welfare Centers.
- Provision of ₹2,702.59 crore for Medical Education Department which includes:
 - ₹ 1,475.75 crore for New Medical Colleges.
 - ₹ 709.17 crore for Rajasthan Medical Education Society.
- Provision of ₹751.95 crore for Medical College, Jaipur.
- Provision of ₹635.62 crore for Medical College, Jodhpur.
- Provision of ₹325.58 crore for Medical College, Udaipur.
- Provision of ₹296.38 crore for Medical College, Kota.
- Provision of ₹228.25 crore for Medical College, Ajmer.
- Provision of ₹244.85 crore for Medical College, Bikaner.
- Provision of ₹457.32 crore for Ayush (Ayurved, Unani and Homeopathy).
- Provision of ₹22.20 crore for Rajasthan Health Science University, Jaipur.
- Provision of ₹43.18 crore for Commissionerate of Food Safety and Drug Control which includes ₹27.49 crore for Shudh ke Liye Yudh Abhiyan.
- **Important physical targets:**
 - Health assurance coverage to 1.33 crore families.
 - Construction of buildings for 15 District Hospitals, 15 Sub District Hospitals, 36 CHC's, 02 PHC's, 02 Sub Centers, and 01 Satellite Hospital.

Public Health & Engineering Department

- Provision of ₹6,717.44 crore for Urban and Rural Water Supply Schemes which Includes:
 - ₹ 904.72 crore for providing HFTC under Jal Jeevan Mission through Retrofitting in major drinking water projects.
 - ₹ 705.28 crore for Upgradation and Re-organization under Jal Jeevan Mission.
 - ₹ 500.00 crore for Rajeev Gandhi Lift Canal Phase-III.
 - ₹ 209.58 crore for Israda Dam project.

➤ **Important physical targets:**

- 25 Lakh Functional Household Tap Connections (FHTCs) under Jal Jeevan Mission.

Housing & Urban Development

➤ Provision of ₹17,215.49 crore for Housing & Urban Development Sector which includes;

- ₹ 3,981.94 crore for Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT) Mission-2.0.
- ₹ 3,190.05 crore as grants to ULBs on account of abolition of Octroi.
- ₹ 2,464.58 crore as grants to ULBs under Central Finance Commission.
- ₹ 1,474.08 crore as grants to ULBs under State Finance Commission.
- ₹ 1,334.80 crore for Rajasthan Urban Infrastructure Development Project.
- ₹ 1,278.22 crore for Rajasthan Transport Infrastructure Development Fund.
- ₹ 900.00 crore for Pradhan Mantri Aawas Yojana.
- ₹ 700.00 crore for Maintenance/Renovation of ULB Roads.
- ₹ 608.46 crore for Swachh Bharat Mission-2.0.
- ₹ 300.00 crore for Indira Gandhi Urban Employment Guarantee Scheme.
- ₹ 139.00 crore for Jaipur Smart City Limited, Ajmer Smart City Limited and Kota Smart City Limited.

➤ **Important physical targets:**

- Target to provide 9.21 crore Thalies under Shri Annapurna Rasoi Yojana (Urban).
- Target to provide employment to 3.20 lakh families under Indira Gandhi Urban Employment Guarantee Scheme.
- 2,000 Self Help Groups to be formed and providing revolving fund under DAY-NULM.
- 1,560 urban poor will be provided financial support through bank for setting up their micro enterprises under DAY - NULM.
- Construction of 12,300 Toilets (IHHL) under Swachh Bharat Mission 2.0 .
- Construction of 1,24,719 EWS Houses Under PMAY-U.
- Laying of 2146.84 Km. sewer line and Construction of 05 STP of 25.1 MLD under AMRUT 2.0.

Labour & Labour Welfare

- Provision of ₹949.61 crore for Employment Department which includes ₹866.45 crore for Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana.
- Provision of ₹724.30 crore for Labour Department which includes ₹720.00 crore for Building and Other Construction Labour Welfare Board.

➤ **Important Physical Targets:**

- Assistance to 2,00,000 Unemployed persons under Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana.

Social Welfare

➤ Provision of ₹17,253.71 crore for Social Justice & Empowerment Department which includes;

- ₹ 8,625.00 crore for Chief Minister Old Age Samman Pension Yojana.
- ₹ 3,450.00 crore for Chief Minister Widow Samman Pension Yojana.
- ₹ 1,019.00 crore for Chief Minister Specialy Abled Samman Pension Yojana.
- Provision of ₹610.85 crore for National Social Assistance Programme (NSAP) which includes ₹385.66 crore for Old Age Pension, ₹211.88 crore for Widow Pension & ₹13.31 crore for Specially Abled Pension.
- ₹ 373.00 crore for Small & Marginal Old Farmers Samman Pension Scheme.
- ₹ 1,110.00 crore for Palanhar Scheme.
- ₹ 371.61 crore for Devnarayan Yojana
- ₹ 202.70 crore for Post-Matric Scholarship to SC Students.
- ₹ 305.00 crore for Post-Matric Scholarship to ST Students.
- ₹ 80.00 crore for Post-Matric Scholarship to OBC Students.
- ₹ 70.08 crore for PM Aadarsh Gram Yojana.

➤ **Important Physical Targets:**

- Target to benefit 87.96 lakh persons under Chief Minister Samman Pension Yojana for old age, widow and specially abled persons. which includes 12.16 lakh persons under National Social Assistance Programme (NSAP) :
 - Old-age Pension to 51.17 lakh persons.
 - Widow Pension to 18.36 lakh widows.
 - Specially Abled Pension to 6.27 lakh persons.
- Target to benefit 7.15 lakh SC/ST/OBC students under Post-Matric Scholarship:
 - Scholarship to 4.61 lakh SC students.
 - Scholarship to 1.79 lakh ST students.
 - Scholarship to 0.75 lakh OBC students.

Directorate of Specially Abled Person

➤ Provision of ₹187.15 crore for Directorate of Specially Abled Persons which includes;

- ₹ 20.00 crore for Rajya Divyang Kalyan Nidhi.

➤ Important physical targets:

- Assistance for Prosthetic Aid to 1,500 persons.

- Subsidy to 450 persons under Mukhya Mantri Vishesh Yogyajan Swarojgar Yojana.
- Assistance to 200 special abled persons for marriage.
- Scholarship to 150 Specially Abled Students.

Tribal Area Development

- Provision of ₹1,206.50 crore for Tribal Area Development which includes;
 - ₹ 647.84 crore as untied grant under the "Janjati Kalyan Nidhi".
 - ₹ 183.00 crore for Tribal Development Fund.
 - ₹ 175.27 crore as Special Central Assistance to Tribal Sub-Plan.
 - ₹ 103.50 crore under proviso to Article 275(1) of the Constitution of India.
- Important physical targets:
 - Target to benefit 29,775 students through Ashram Hostels, 92,070 students through Maa-Bari Centers and 5,160 Students through Residential School/Modal Public School.
 - Free distribution of Pulses, Oil & Ghee to 1.30 lakh Saharia, Khairwa and Kathori persons.

Women and Child Development

- Provision of ₹1,175.42 crore for Women Development programme which includes;
 - ₹ 594.54 crore for Indira Mahila Shakti Yojana (I M Shakti).
 - ₹ 100.00 crore for Lado Protsahan Yojana.
 - ₹ 320.00 crore for Mukhyamantri Rajshree Yojana.
- Provision of ₹3,677.88 crore for Child Development Services which includes
 - ₹ 1,542.29 crore for ICDS.
 - ₹ 1,305.00 crore for Supplementary Nutrition.
 - ₹ 406.80 crore for PM Matru Vandana Yojana.
 - ₹ 150.00 crore for Indira Gandhi Matritva Poshan Yojana.
 - ₹ 144.60 crore for National Nutrition Mission.
- Important physical targets:
 - Target to benefit 50 lakh children and women through Supplementary Nutrition.
 - Target to benefit 3.65 lakh women through PM Matru Vandana Yojana (PMMVY).

Minority Development

- Provision of ₹463.52 crore for Minority Development Programme which includes;
 - ₹ 127.62 crores for Model Residential School, Jaipur.
 - ₹ 118.00 crore for Madarsa Schools.
- Important physical targets:

- Target to benefit 2,998 Applicants under CM Anuprati Scheme.

Directorate of Child Empowerment

- Provision of ₹119.07 crore for Directorate of Child Empowerment which includes;
 - ₹ 75.00 crore for Integrated Child Protection Scheme.

Devasthan Department

- Provision of ₹85.36 crore for Devasthan Department which includes ₹50.00 crore for Varistha Nagrik Tirth Yatra Yojana.

State Insurance & Provident Fund Department

- Provision of ₹3,214.18 crore for State Insurance & Provident Fund Department which includes;
 - ₹ 2,609.25 crore for Rajasthan Government Health Scheme.
 - ₹ 453.30 crore for Mukhyamantri Ayushman Durghatna Bima Yojana.
 - ₹ 151.64 crore for Jeevan Durghatna Bima Yojana.

X. Economic Services

- Provision of ₹1,748.82 crore for Information Technology & Communication Department which includes;
 - ₹ 329.10 crore for Rajeev Gandhi Fintech Digital Institute, Jodhpur.
 - ₹ 211.00 crore for Command & Control Center.
- Provision of ₹1,562.54 crore for Food & Civil Supply Department which includes funds of ₹607.53 crore for National Food Security Scheme.
- Provision of ₹124.47 crore for Economic & Statistics Department which includes ₹30.40 crore for Rajasthan Jan Aadhaar Yojana.
- Provision of ₹416.52 crore for Tourism Department.

XI. General Services

- Provision of ₹2,786.06 crore for Disaster Management and Relief Department which includes;
 - ₹ 1,828.80 crore for State Disaster Relief Fund.
 - ₹ 500.00 crore for Natural Calamities and Men-made Disaster Relief Fund.
 - ₹ 457.20 crore for State Disaster Mitigation Fund.
- Provision of ₹525.77 crore for Law Department.
- Provision of ₹460.45 crore for Police Department.
- Provision of ₹297.91 crore for Commercial Tax Department which includes ₹260.35 crore for subsidy under Rajasthan Investment Promotion Policy.
- Provision of ₹151.58 crore for Home Guard Department.
- Provision of ₹62.82 crore for Treasuries & Accounts Department.
